"बिजनैस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2013— माघ 24, शक 1934

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक /एफ -04/01/2010/14-2.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) के उपबंध के अधीन जारी राज्य सरकार की अधिसूचना क्र./डी-15/6/85/चौदह-तीन (सी), भोपाल दिनांक 16-05-1985 द्वारा, तत्कालीन दुर्ग जिले (वर्तमान राजनांदगांव) के राजनांदगांव तहसील के तत्कालीन विकासखण्ड छुरिया के मण्डी क्षेत्र को समाविष्ट करते हुए, छुरिया में मण्डी विनियमित की गई है, जो इसमें इसके पश्चात् " छुरिया मण्डी के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है.

यत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खंड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार ने छुरिया मण्डी को बंद करने हेतु अधिसूचना क्र. /2520/एफ 04/01/2010/14-2, रायपुर दिनांक 04 जुलाई, 2011 द्वारा जारी करते हुए, इसके आशय को संसूचित किया है.

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 71 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निदेश देती है कि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राजनांदगांव जिले के छुरिया मण्डी को बंद किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक/एफ-04/01/2010/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 12-2-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 12th February 2013

NOTIFICATION

No./ F-04/01/2010/14-2.— The State Government vide Notification No./D-15/6/85/XIV-III(C), Bhopal, dated 16-05-1985, issued under the provison of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), regulated the market at Chhuriya, having market area comprising of the then development block Chhuriya of Tahsil Rajnandgaon of District - Durg (Presently Rajnandgaon), hereafter referred to as "the notified market area of Chhuriya Mandi."

Whereas, by issuance of notification No./2520/F-04/01/2010/14-2, Raipur dated 04 July 2011, the State Government, by exercising the powers conferred under clause (iv) of sub-section (1) of section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), had signified its intention to disestablish the market of Chhuriya.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 71 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, directs that with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette, the Chhuriya Mandi of Rajnandgaon District shall be disestablished.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.